सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, (उत्तराखंड)

कुलसचिव कार्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा –263601

कुलसचिव

www.ssju.ac.in   e-mail-registrarssju@gmail.com

पत्रांक : SSJU/मा0/2025–26/2004   दिनांक– 29/11/2025

सेवा में,

प्राचार्य,

विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट अल्मोड़ा।

विषय – शैक्षिक सत्र 2023–24, 2024–25, 2025–26 की सम्बद्धता के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कुलाधिपति के अपर सचिव के संलग्न पत्र संख्या–जी0एस0(शिक्षा)/A16-19/2024 दिनांकः 27.11.2025 के क्रम में आपको संलग्न पत्र में अंकित पाठ्यक्रमों/सीटों पर शैक्षिक सत्र **2023–24, 2024–25, 2025–26** हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है, कि संलग्न पत्रानुसार अपने महाविद्यालय के निर्धारित मानकों को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

Registrar
Soban Singh Jeena University
Almora-263601, (Uttarakhand)

सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0(शिक्षा)/A16-19/2024

प्रेषक,

रीना जोशी
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : नवम्बर, 2025

महोदय,

कृपया आपके द्वारा अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230517092935, प्रस्ताव क्रमांक 240430095139 तथा प्रस्ताव क्रमांक 241227100255 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा–33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट, अल्मोड़ा।	बी0सी0ए0	60	2023–24 2024–25 2025–26

(1) प्रस्तावों के साथ छात्रों के व्यावहारिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण हेतु किये गये अनुबन्ध संबंधी साक्ष्य संलग्न नहीं किये गये हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि वह संस्थान से तत्सम्बन्धी अभिलेख 01 माह में प्राप्त कर अनुबन्ध होने की पुष्टि करे और तद्नुसार राज्यपाल सचिवालय को भी अवगत कराये।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करें व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

ile No. RB-EDUC02/211/2024-RAJBHAWAN (Computer No. 1482)

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 27-11-2025
10:56:49

(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या– (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A16-19/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Anup Singh Negi
Date: 27-11-2025
11:16:10

(अनूप सिंह नेगी)
कुलाधिपति के अनुसचिव।